उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या–3684/सेक–2–पॉच–17–6(124)/2017
लखनऊ :: दिनांक :07 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–26006/2016 डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि 'आसन्न कनिष्ठ नियम' के अन्तर्गत कनिष्ठ के सापेक्ष प्रोन्नति एवं परिणामी लाभ प्रदान किया जाय। मामले की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2016 पारित किया गया, जो निम्नवत् है:–

" The petitioner has given a representation for consideration of his promotion to the post of Joint Director (Specialist) (Male), which is pending consideration.

We dispose of the matter directing the competent authority to decide the petitioner's representation by a reasoned and speaking order within three months from the date of production of a certified copy of this order."

2– मा0 न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन हेतु याची डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अवमाननावाद संख्या–2952/2017 डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता बनाम प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजित की गयी, जिसकी सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 21.07.2017 को निम्न आदेश पारित किये गये:–

"The grievance of the applicant is that the opposite party is competent authority to consider the promotion of the applicant on the post of Joint Director and therefore the order dated 27.5.2016 passed in Writ A No. 26006 of 2016 was served upon the opposite party through registered post dated 7.6.2016 but, despite service of the order, the order has not been complied with till date even though three months period have expired.

Let notice be issued to the opposite party returnable by 15.9.2017. If by the next date, the opposite party complies with the order of the Writ Court, he need not appear in person and a compliance affidavit would suffice."

3– मा0 न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में याची डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता (वरि0क0–7061) का प्रत्यावेदन दिनांक 07.06.2016 प्राप्त हुआ है, जिसमें याची द्वारा मुख्य रूप से ''आसन्न कनिष्ठ नियम'' के अन्तर्गत लेवल–2 से लेवल–3 तथा लेवल–3 से लेवल–4 के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

4– मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याची डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता (वरि0क0–7061) को आसन्न कनिष्ठ नियम के अन्तर्गत उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी डा0 रवि कुमार शर्मा (वरिष्ठता कमांक–9066) की लेवल–2 से लेवल–3 तथ लेवल–3 से लेवल–4 पर कमशः दिनांक 12.10.2006 एवं 11.02.2008 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने पर विचार किये जाने हेतु दिनांक 04.09.2017 को विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी। विभागीय चयन समिति द्वारा याची को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी डा0 रवि कुमार शर्मा (वरि0क 9066) की

लेवल–2 से लेवल–3 में हुयी पदोन्नति की तिथि 12.10.2006 से तथा डा0 रवि कुमार शर्मा (वरि0क0–9066) की लेवल–3 से लेवल–4 में हुई पदोन्नति की तिथि 11.02.2008 से संयुक्त निदेशक ग्रेड में नोशनल पदोन्नति हेतु उनके सुसंगत सेवा अभिलेखों के आधार पर चयन समिति द्वारा निम्नवत् संस्तुति की गयी है–

(1) डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी को ज्येष्ठता मानदण्ड के आधार पर 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। डा0 गुप्ता को उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी डा0 रवि कुमार शर्मा (वरि0क 9066) की लेवल–2 से लेवल–3 में हुयी पदोन्नति की तिथि 12.10.2006 से लेवल–2 (वेतनमान रू0–37400–67000 ग्रेड पे रू0–8700) से लेवल–3 (वेतनमान रू0–15600–39100 ग्रेड पे रू0–7600) नोशनल पदोन्नति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

(2) श्रेष्ठता मानदण्ड के आधार पर डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता, वरिष्ठता कमांक–7061 को अनुपयुक्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता लेवल–3 (वेतनमान रू0–15600–39100 ग्रेड पे रू0–7600) से लेवल–4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) (वेतनमान रू0–37400–67000 ग्रेड पे रू0–8700)के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की संस्तुति नहीं की जाती है।

5– अतः उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत याची डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता, विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी को लेवल–2 (वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेड–पे–6600) से लेवल–3 (वेतनमान रू0 15,600–39,100 ग्रेड–पे–7600) के पद पर उनके कनिष्ठ सामान्य उपसंवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 रवि कुमार शर्मा (वरि0क0–9066) की पदोन्नति की तिथि 12.10.2006 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

6– अतएव प्रस्तर–2 में उल्लिखित याची का प्रत्यावेदन दिनांक 07.06.2016 उपर्युक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या– 3684 **(1)/सेक–2–पांच–17, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रोन्नत किये गये चिकित्सकों के संबंध में यदि किसी चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही, निलम्बन तथा अनाधिकृत अनुपस्थिति हो, तो उस चिकित्सक को छोड़ते हुए शेष चिकित्सकों को कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु अपने स्तर से तत्काल निर्देश जारी करें।
3– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से सभी संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
4– अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा मण्डल, आगरा।
5– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मथुरा।
6– मुख्य चिकित्साधिकारी, मथुरा।

7— मुख्य कोषाधिकारी, मथुरा।

8— प्रभारी कम्प्यूटर, सेल को इस निर्देश सहित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

9— डा0 ज्ञान चन्द्र गुप्ता, 56, नार्थ विजय नगर कालोनी, आगरा।

10— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

अनुसचिव।